सत्यमेव जयते

न्यायालय मुख्य आयुक्त विकलांगजन
COURT OF CHIEF COMMISSIONER FOR PERSONS WITH DISABILITIES
विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग / Department of Empowerment of Persons with Disabilities
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय / Ministry of Social Justice and Empowerment
भारत सरकार / Government of India

केस सं: 5294 / 1083 / 2015 दिनांक: 12.05.2017

के मामले में :—

श्री राकेश,
पुत्र श्री हीरा लाल,
म.नं. ए 39, जे.जे. कालोनी,
बक्करवाला, नई दिल्ली—110041 — शिकायतकर्ता

बनाम

अध्यक्ष,
नई दिल्ली नगरपालिका परिषद,
पालिका केन्द्र,
संसद मार्ग, नई दिल्ली—11001
ईमेल— <chairperson@ndmc.gov.on> — प्रतिवादी

सुनवाई की तारीख: 24.11.2016

उपस्थित:
1. श्री राकेश, शिकायतकर्ता ।
2. प्रतिवादी की ओर से कोई नहीं ।

आदेश

उपरोक्त शिकायतकर्ता, 40 प्रतिशत दृष्टिबाधित ने निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995, जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है, के तहत उनको नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् के अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा परेशान करने से संबंधित शिकायत दिनांक 06.10.2015 इस न्यायालय में प्रस्तुत की ।

2. शिकायतकर्ताओं का कहना है कि वह जनपथ मिनी मार्किट में रेडीमेड की पटरी लगाता था और इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय से स्टे आर्डर भी मिल चुका है, तथापि नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् के निरीक्षक एवं कर्मचारी उन्हें पटरी नहीं लगाने दे रहे हैं, जिसकी वजह से उनका पूरा परिवार बहुत परेशान है ।

3. मामला प्रतिवादी के साथ इस न्यायालय के पत्र दिनांक 13.10.2015 के द्वारा उठाया गया । इसके पश्चात् दिनांक 04.12.2015 एवं 28.04.2016 को स्मरण–पत्र भी जारी किए गए ।

4. प्रतिवादी से कोई उत्तर प्राप्त न होने के कारण मामले को दिनांक 24.11.2016 को सुनवाई के लिए रखा गया ।

5. दिनांक 19.09.2016 को सुनवाई के समय शिकायतकर्ता ने अपने लिखित कथनों को दोहराया और पुनः' निवेदन किया कि नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् के निरीक्षक एवं कर्मचारी उन्हें जनपथ मिनी मार्किट में रेडीमेड की पटरी नहीं लगाने दे रहे हैं । उन्होंने न्यायालय के समक्ष प्रार्थना की कि नगरपालिका को इस संबंध में समुचित आदेश पारित किए जाएं ।

6. प्रतिवादी की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही उन्होंने सुनवाई में भाग लेने के लिए अपनी असमर्थता के बारे में सूचित किया जबकि सुनवाई के लिए सूचना इस न्यायालय के पत्र दिनांक 11.11.2016 द्वारा स्पीड डाक से भेजी गई थी । प्रतिवादी की ओर से मामले में अपने पक्षकथन के समर्थन में न तो उपस्थित होने और न ही सुनवाई में भाग लेने के लिए अपनी असमर्थता के बारे में सूचित करने में दर्शित पूर्ण उपेक्षा को इस न्यायालय ने गंभीरता से लिया।

7. शिकायतकर्ता को सुनने एवं उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन करने के पश्चात् न्यायालय ने संप्रेक्षण किया कि चूंकि यह मामला इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आता, इसलिए इस मामले में प्रतिवादी को कोई निर्देश दिए बिना मामले का निपटारा किया जाता है ।

(डा. कमलेश कुमार पाण्डेय)
मुख्य आयुक्त निःशक्तजन